न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 96 / 2022

1 ओमप्रकाश पुत्र पितराम उम्र 53 साल
2 देवकरण पुत्र पितराम उम्र 61 साल
3 शिशपाल पुत्र पितराम उम्र 65 साल
4 हनुमान पुत्र पितराम उम्र 75 साल समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 भागीरथ पुत्र बल्लुराम आयु 77 साल
2 रामजीलाल पुत्र बल्लुराम आयु 73 साल
3 इन्द्राज पुत्र बल्लुराम आयु 70 साल
4 प्यारेलाल पुत्र बल्लुराम आयु 62 साल
5 द्वारका प्रसाद पुत्र बल्लुराम आयु 58 साल
6 जमना पुत्री बल्लुराम आयु 75 साल
7 मोहनी पुत्री बल्लुराम आयु 71 साल
8 संतोष पुत्री बल्लुराम आयु 68 साल
9 सावित्री पुत्री बल्लुराम आयु 65 साल
10 अनिता पुत्री बल्लुराम आयु 51 साल
11 रामचन्द्र पुत्र पितराम आयु 57 साल समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
12 पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं राज. जरिये शाखा प्रबंधक।
13 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अ. धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध प्राथमिक निर्णय व प्राथमिक
डिकी दिनांक 24.02.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर उनवानी बादामी आदि बनाम ओमप्रकाश आदि
मु.नं. 24/2020

अपील संख्या 131/2024

1 ओमप्रकाश पुत्र पितराम उम्र 53 साल
2 देवकरण पुत्र पितराम उम्र 61 साल
3 शिशपाल पुत्र पितराम उम्र 65 साल
4 हनुमान पुत्र पितराम उम्र 75 साल समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 भागीरथ पुत्र बल्लुराम आयु 77 साल
2 रामजीलाल पुत्र बल्लुराम आयु 73 साल
3 इन्द्राज पुत्र बल्लुराम आयु 70 साल
4 प्यारेलाल पुत्र बल्लुराम आयु 62 साल
5 द्वारका प्रसाद पुत्र बल्लुराम आयु 58 साल
6 जमना पुत्री बल्लुराम आयु 75 साल
7 मोहनी पुत्री बल्लुराम आयु 71 साल
8 संतोष पुत्री बल्लुराम आयु 68 साल
9 सावित्री पुत्री बल्लुराम आयु 65 साल
10 अनिता पुत्री बल्लुराम आयु 51 साल
11 रामचन्द्र पुत्र पितराम आयु 57 साल समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

12 पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं राज. जरिये शाखा प्रबंधक।
13 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.03.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर उनवानी बादामी आदि बनाम ओमप्रकाश आदि मु.नं. 24/2020 आर.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00086

उपस्थिति :
1. श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 4/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 24/2020 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2022 व 25.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्टस ने एक वाद घोषणार्थ, विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 358 के हाल

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खसरा नम्बर 75, 79, 80, 81, 82 वाके ग्राम सोनासर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 131/2024 धारा 5 के आवेदन के साथ व अपील संख्या 96/2022 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि इस प्रकरण में अपीलान्टस (प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 व रेस्पोडेन्ट सं. 11) की सम्यक तामील नहीं होने के कारण उनको विचारण न्यायालय के वाद की कभी जानकारी नहीं हुई। दिनांक 25.03.2022 को ना तो प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 (अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट सं. 11) न्यायालय में उपस्थित थे एव ना ही उनको अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा मनमाने रूप से ही निर्णय व अंतिम डिक्री पारित कर दी। विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय एवं प्रकियात्मक विधि के सिद्धान्तों की पालना नहीं की है एवं गुणावगुण पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है। यह प्रकरण पूर्णतया अपीलान्टस के सुने जाने के अधिकार का उल्लंघन है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 10 ने गलत रूप से तथ्यों को छिपाते हुये दावा पेश किया था। रेस्पोडेन्टस सं. 1 लगायत 10 का कभी भी उपरोक्त वर्णित जमीन पर कब्जा काश्त नहीं रहा तथा इस तथ्य को विचारण न्यायालय से छिपाया एवं इसकी आड़ में न्यायालय को गुमराह करने का कार्य किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.02.2022 में कहीं भी यह दर्ज नहीं किया है कि किस आधार पर अपीलान्ट की 1/2 हिस्से की खातेदारी काश्तकारी अधिकार समाप्त कर दिये गये और उनकी भूमि में से 1/2 हिस्से की खातेदारी काश्तकारी अधिकार रेस्पोडेन्टस 1 लगायत 10 को दे दिये गये। इस प्रकार में विवादित वर्तमान जमीन खसरा नम्बर 75 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 79 रकबा 0.95 है., खसरा नम्बर 80 रकबा 0.95 है., खसरा नम्बर 81 रकबा 0.10 है. के राजस्व रिकार्ड में पहले पितराम के नाम तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसानों के नाम से दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2020 में उपरोक्त वर्णित जमीन पीतराम पुत्र गणपत के नाम से दर्ज है। उपरोक्त वर्णित जमीन अपीलान्टस की भूमि है जिसमें अपीलान्टस का जन्म के हक हिस्सा है। विचारण न्यायालय द्वारा 55 साल के राजस्व

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रिकार्ड को क्यों नहीं माना गया, यह तथ्य अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.03.2022 में कही भी दर्ज नहीं है। अतः इस आधार पर भी निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.03.2022 खारिज होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील संख्या 131/2024 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्टस ने एक वाद घोषणार्थ, विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 358 के हाल खसरा नम्बर 75, 79, 80, 81, 82 वाके ग्राम सोनासर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4, 5 के रूप में पक्षकार है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की सम्यक तामील हुई है। सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.08.2021 को विधिक प्रक्रिया अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये है। इसके उपरांत विचारण न्यायालय ने वादी की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई दिनांक 24.02.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार मलसीसर द्वारा पत्रांक 543 दिनांक 16.03.2022 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये है। यह विभाजन प्रस्ताव विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार द्वारा तैयार कर भिजवाये गये है। विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार सुनवाई कर विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अंतिम डिक्री की अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद व गुणावगुण पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्टस ने एक वाद घोषणार्थ, विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 358 के हाल खसरा नम्बर 75, 79, 80, 81, 82 वाके ग्राम सोनासर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.02.2022 से वाद वादी स्वीकार कर विवादित भूमि में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है किन्तु इस निर्णय में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 से प्रदर्श–12 का कोई विवेचन किये बिना, वाद के समर्थन में निर्णय में कोई विश्लेषण किये बिना केवल मात्र एक लाइन में वाद स्वीकार करना न्यायोचित मानकर प्राथमिक डिक्री जारी की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

विचारण न्यायालय में अपीलान्ट को जवाब देही एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपील में अपीलान्ट का कथन रहा है कि विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 75, 79, 80, 81, 82 पहले पितराम के नाम व उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के नाम दर्ज रही है। विचारण न्यायालय ने संवत 2020 से दर्ज राजस्व रिकार्ड को हजफ करने का विचाराधीन निर्णय में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है।

प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष को सूचित कर मौका निरीक्षण नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नक्शे पर तहसीलदार के काउंटर साइन है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक व अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 4/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर